POLITY

विधायी शक्तियाँ

Art. 123 ⇒ अध्यादेश Ordinance ⇒ issue → जारी
↳ राष्ट्रपति

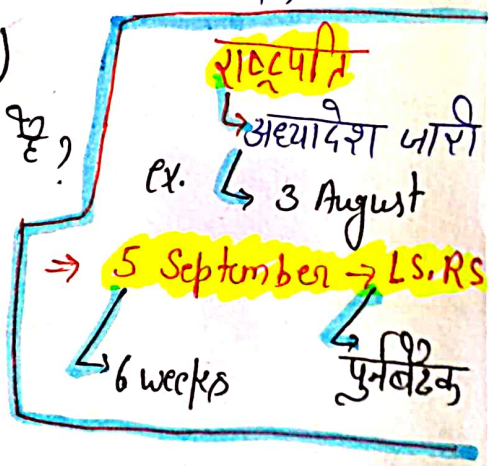
→ संसद के कानून की तरह

→ अध्यादेश कब जारी ? ⇒ जब संसद के दोनों सदन (Both House) या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो (कार्य न कर रहा हो)

↓

LS और RS का अनुमोदन [Approval]
↳ लोकसभा और राज्यसभा की पुनर्बैठक (Reassemble)
→ के दिन से 6 सप्ताह के अंदर ≠ (within 6 weeks)
→ अनुमोदन (Approval) - ✓ ⇒ देती है तो अध्यादेश कानून बन जायेगा।
X ⇒ नहीं देती है तो अध्यादेश समाप्त हो जायेगा।

LS और RS के अनुमोदन के बिना (without Approval of LS and RS) अध्यादेश कितने दिन जारी रह सकता है ?
⇒ 6 Month's and 6 weeks
6 माह और 6 सप्ताह



वित्तीय शक्तियां [Financial Power]

⇒ भारत की 'आकस्मिक निधि' [Contingency fund of India] Art. 267 पर भी उसका नियन्त्रण होता है। He also has Control over India's 'Contingency Fund'.

→ राष्ट्रपति — Control (नियंत्रण) संसद का

Art. 266 ← भारत की संचित निधि (Consolidated found of India)

ex. बाढ़
→ बीमारी फैल जाये
→ भुखमरी

⇒ Contengency fund से पैसा निकालने के बाद राष्ट्रपति को संसद को बताना होता है।

⇒ धन विधेयक [Money Bill] Art. 110 राष्ट्रपति की पूर्वअनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है।

Introduced the money bill in LS but After Approved of president

⇒ राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष [every financial year] बजट को वित्तमंत्री [finance minister] से पेश करने के लिए कहते है। Art. 112

→ 1 April - 31 March

अनु॰ 280 उसे एक वित्त आयोग [Finance Commission] नियुक्त करने का भी अधिकार है। Article 280 He also has the power to appoint a finance Commission

वित्त आयोग → Art. 280

Finance Commission

→ गठन [Formed] → Every 5 year's / प्रत्येक 5 वर्ष में
→ formed by the president (राष्ट्रपति द्वारा गठन)
→ 1 अध्यक्ष (Chairman) + 4 other members (4 अन्य सदस्य)

⇒ अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति (Appointment) → राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

→ प्रथम वित्त आयोग का गठन → 1951 → अध्यक्ष (Chairman) formed of first finance Commission ↳ के॰ सी॰ नियोगी
→ कार्य प्रारंभ ⇒ 1952 - 1957
→ वर्तमान में 15 वां वित्त आयोग (15th finance Commission)
↳ अध्यक्ष ⇒ एन॰ के॰ सिंह (2020 - 2025)
→ 16 वां वित्त आयोग → अध्यक्ष ⇒ अरविंद पनगढ़िया

सैन्य शक्तियां [military Powers]

⇒ भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना) का प्रधान सेनापति होता है. The President of India is the Commander-in-Chief of the three armed forces (Army, Air force and Navy.)

⇒ उसे युद्ध घोषित करने तथा शान्ति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। He has the power to declare war and establish peace.

⇒ वह तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। He also appoints the three army Chiefs.

राजनयिक शक्तियां [Diplomatic Powers]

⇒ राजदूतों ——————→ की नियुक्ति करता है
Appoints ambassadors
[By the president

⇒ विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं. Treaties and agreements with foreign Countries are also made in the name of the president.

आपातकालीन उपबंध [Emergency Provision]

- Part (भाग) → 18
- Art. 352 - 360
- जर्मनी / 1935 के अधिनियम से लिया गया। (Act of 1935)

Art. 352 → राष्ट्रीय आपातकाल [National Emergency]

Art. 356 → राष्ट्रपति शासन [Presidential Rule]

Art. 360 → वित्तीय आपातकाल [Financial Emergency]

संविधान का भाग - 18

⇒ अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबन्धों के बारे में है। Part - 18 of the Constitution, from Articles 352 to 360 deals with emergency provisions.

⇒ भाग - 18, जर्मनी के संविधान से प्रेरित (Inspired) है। Part - 18 is inspired by the Constitution of Germany.

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपात की परिकल्पना की गई है। यथा Three types of emergencies have been envisaged in the Indian Constitution. As.

rojgar with ankit

i) युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रीय आपात, (अनु० 352)
Emergency arising out of war, external aggression or armed rebellion or a national emergency, [Art. 352]

राष्ट्रीय आपातकाल [National Emergency]

- Art. 352, इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के बाद [Announced by the president but After written Approved of Cabinet] ⇒ 44 CA 1978
- आधार [Grounds] – (i) युद्ध
 (ii) बाह्य आक्रमण [external Agression]
 (iii) सशस्त्र विद्रोह [Armed Rebellion]
 - 44 CA 1978